



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)
(जिला राजस्व शाखा)

(ISO 9001: 2015 Certified)

वन भूमि अपयोजन हेतु समतुल्य गैर वन भूमि का अतिक्रमण एवं अधिभार मुक्त प्रमाण-पत्र।

अंचल अधिकारी, मसलिया के पत्रांक 21/रा0 दिनांक 10.1.2018 एवं अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा के पत्रांक 130/रा0 दिनांक 03.2.2018 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (पूर्वी जोन) में दायर ओ0 ए0 नं0-14/2014/ई0 जेड0 रामलखन सिंह बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में वन रोपण हेतु वन भूमि के समतुल्य हस्तांतरित की जानेवाली गैर मजरूआ (खास) भूमि जो अंचल मसलिया के मौजा-लताबनी थाना नं0-15 खाता नं0-22 दाग नं0-823 अंश रकवा-25.00 एकड़ किस्म-पुरातन पतित भूमि एवं अंचल शिकारीपाड़ा के मौजा-देदहा थाना नं0-10 खाता नं0-48 दाग नं0-01 अंश रकवा-13.21 एकड़ किस्म-डुमरी कुल रकवा-38.21 एकड़ गैर वन भूमि है, जो अधिभार एवं अतिक्रमण मुक्त है।

अपर समाह्वयक
दुमका
8/4/18

उपायुक्त
दुमका।